(5)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–.....34.....सन् 2015–16

केश का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार–सरकार (अंचल अधिकारी,लखनौर) प्रतिपक्षी:– राजकुमार दास वगैरह

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
21.07.17	प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर के पत्रांक–140 दिनांक–26.02.2016 से प्राप्त अंचल अधिकारी, लखनौर द्वारा संधारित अभिलेख संख्या–3/15–16 में प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी एवं प्रतिपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अंचल अधिकारी, लखनौर ने राजस्व कर्मचारी की जॉच के आधार पर आदेशफलक में लिखा है कि खाता–506 खेसरा–2820 रकवा 0–3–18 किस्म डबरा जमाबंदी नं. 2315/2440 में सन्निहित है जो वर्तमान में एक्जाई होकर जमाबंदी नं. 4431 रकवा 0–7–19 धूर चल रही है। उक्त खेसरा का हाल सर्वे खतियान में खाता–2476 अनाबाद बिहार सरकार खेसरा 3959 रकवा 0.17 डी0 डबरा दर्ज है। उक्त खाता की जमीन पुराना एवं हाल सर्वे खतियान में सरकारी खाता की है। साथ ही सामुदायिक भवन निर्मित है। वर्तमान जमाबंदी नं. 4431 में सन्निहित सरकारी खाते की भूमि को एक्जाय किया जाना संदेहास्पद है जमाबंदी के कैफियत में नामांतरण से संबंधित केश नं. का उल्लेख नहीं है ऐसी स्थिति में रद्दीकरण का प्रस्ताव दिया गया है। प्रतिपक्षी को नोटिस देते हुये उनसे पक्ष मांगा गया। प्रतिपक्षी ने अपने प्रत्युत्तर में लिखा है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बेहट थाना वो अंचल–लखनौर जिला मधुबनी का पुराना खाता नं. 506 नया खाता नं. 2476 पुराना खेसरा नं. 2820 नया खेसरा नं. 3959 रकवा 3 कट्ठा 18 धूर है। पुराना खाता नं. 506 पुराना खेसरा नं. 2820 रकवा 3 कट्ठा 18 धूर पुराना सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास डबरा दर्ज है। डबरा वर्ष 1934 के भूकम्प से भरण हो गया एवं जोतसीम हो गया। प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमींदार राज दरभंगा द्वारा सन् 1353 फसली रामखेलावन दास विपक्षीगण को बदोवस्त कर दखल दे दिया एवं उनके नाम से जमाबंदी नं. 2440 के अंतर्गत मालगुजारी रसीद निर्गत कर दिया। जमींदारी भेस्टिंग के बाद भूतपूर्व जमींदार द्वारा रिटर्न बिहार सरकार को दिया गया जिसके आधार पर रजिस्ट–II का निर्माण हुआ वो जमाबंदी संख्या–2440 रामखेलावन दास के नाम से कायम रहा जो बाद में जमाबंदी 4431 में सम्मिलित हो गया जो अभी तक चल रहा है। रामखेलावन दास प्रश्नगत खेसरा नं. 2820 रकवा 3 कट्ठा 18 धूर के अंतर्गत पक्का मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रहते आ रहे हैं। रिविजनल सर्वे अधिकारी के गलती वो भूल से प्रश्नगत भूमि का रिभिजनल सर्वे खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से बना दिया गया जिसका नया खाता नं. 2476 नया खेसरा नं 3959 रकवा 17 डिसमल है। रिभिजनल सर्वे खतियान के विरूद्ध दफा 106 बी0टी0एक्ट के अंतर्गत वाद संख्या–1460/2006 बिहार सरकार के विरूद्ध दायर किया रिभिजनल सर्वे खतियान में सुधार हो चुका है। मौजा–बेहट के अंतर्गत सामुदायिक भवन सरकार बनाना चाहती थी प्रश्नगत भूमि के एक कोणा में रामखेलावन दास ने 1443 वर्गफीट जमीन सामुदायिक भवन बनाने के लिए दे दिया जिस पर सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ उसके सटे विपक्षीगण का अपना पक्का दो मंजिला मकान, शौचालय, चापाकल, स्नानघर वगैरह है जिसमें वे सपरिवार रह रहे हैं तथा उपयोग कर रहे हैं। प्रश्नगत जमीन भूतपूर्व जमींदार के समय से	

ही रामखेलावन दास के नाम से कायम है वो उक्त जमाबंदी जायज है उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत खेसरा 2820 बिहार सरकार में भेस्ट नहीं किया गया है। बिहार सरकार के नाम से बना रिभिजनल सर्वे खतियान भी निरस्त किया जा चुका है। अंचल अधिकारी वो उप समाहर्ता, झंझारपुर द्वारा पारित आदेश गलत वो निराधार है वो निरस्त होने योग्य है। अतः उक्त जमाबंदी रद्द वाद को खारिज किया जाय।

वाद संचालन के क्रम में एक व्यक्ति बिन्देश्वर दास, ग्राम–बेहट, अंचल–लखनौर की ओर से एक आवेदन दिया गया कि तत्कालीन राजस्व कर्मचारी की जालसाजी एवं धोखाधड़ी करके सरकारी जमीन एवं उस जमीन पर निर्मित सामुदायिक भवन जो सरकारी राशि से बनाया गया है का नाजायज जमाबंदी कायम कर मनमानी किया गया है। आयुक्त दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा, जिला पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी के जनता दरबार में आवेदन दिया गया जिसकी जांचोपरान्त अंचल अधिकारी, लखनौर ने जॉचोपरान्त जमाबंदी गलत तरीका से कायम पाया गया जिसे रद्द करने का प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता झंझारपुर के माध्यम से इस न्यायालय में चल रहा है। जनहित में नाजायज ढ़ंग से सरकारी जमीन एवं सरकारी सामुदायिक भवन हड़पने के उद्येश्य से कायम जमाबंदी रद्द किया जाय ताकि जनहित की रक्षा हो सके। आवेदक ने अपने आवेदन के साथ निम्नांकित साक्ष्यों की छाया प्रति संलग्न किया हैः–

1– बेहट में सामुदायिक भवन निर्माण संबंधी अभिलेख की छाया प्रति।
2– अंचल अधिकारी, लखनौर द्वारा इनफोरमेशन चिरकुट पर दी गयी सूचना की छाया
3–अनुमंडल दण्डाधिकारी, झंझारपुर के न्यायालय में 144 दं.प्र.सं.में पारित आदेश की छाया
4–अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदा.झंझारपुर द्वारा पारित आदेश की छाया।

वाद की सुनवाई कर आदेशार्थ रखा गया एवं प्रतिपक्षी को अपना पक्ष रखने हेत लिखित बहस देने हेतु समय दिया गया।

प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अपने प्रत्युत्तर की अधिकांश बातों को दोहराया गया है। लिखा है कि भूतपूर्व जमींदार राज दरभंगा द्वारा वर्ष 1353 फसली में विपक्षीगण के पिता को बंदोवस्त कर दखल दे दिया तथा जमाबंदी नम्बर 2440 के अंतर्गत मालगुजारी रसीद निर्गत कर दिया जिसका मालगुजारी भूतपूर्व जमींदार के सिरिस्ता में जमा करते आये। जमींदारी उन्मूलन के बाद भूतपूर्व जमींदार के द्वारा रिटर्न बिहार सरकार को दिया गया जिसके आधार पर रजिस्टर–2 का निर्माण हुआ बिहार सरकार में भी जमाबंदी नं. 2440 विपक्षी के पिता के नाम से कायम हुआ। जमाबंदी नं. 2440 वर्ष 2012–13 तक कायम रहा बाद में विपक्षीगण के नाम से पूर्व के जमाबंदी नं. 4431 में सम्मिलित कर दिया गया। रिविजनल सर्वे में भूल से प्रश्नगत भूमि का रिभिजनल सर्वे खतियान बिहार सरकार के नाम से बना दिया गया जिसे बी0टी0एक्ट की धारा–106 के अंतर्गत हकीयत मुकदमा 1460/2005 में रिभिजनल सर्वे खतियान में सुधार हो गया। प्रश्नगत जमीन खेसरा नं. 2820 बिहार सरकार में भेस्ट नहीं किया गया और बिहार सरकार का हकीयत एवं दखल कब्जा नहीं है। रिभिजनल सर्वे खतियान भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से यह साबित होता है कि विपक्षीगण के नाम से चल रहा जमाबंदी काफी पुराना है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दाखिल खारिज रद्दीकरण के संबंध में स्पष्ट निर्देश है कि काफी पुराने जमाबंदी को सक्षम न्यायालय ही रद्द किया जा सकता है। गैर मजरूआ खास जमीन को जमींदार को बंदोवस्त करने का अधिकार था। पूराने जमाबंदी को रद्द कर देना न्यायोचित नहीं है। अतः इस वाद को समाप्त किया जाय। अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया हैः–

1– 2011(1) पी0एल0जे0आर0पृष्ठ–787 से 789 की छाया प्रति।
2– 2004(2) बी0बी0सी0जे0पृष्ठ–125 एवं 126 की छाया प्रति।
3– बी0टी0एक्ट धारा–106 वाद संख्या–1460/05 में आदेश की छाया प्रति।
4– लगान रसीद बिहार सरकार एवं भूतपूर्व जमींदार का अदा किया गया की छाया प्रति
5– केवाला कुशेश्वर दास–बनाम–दिलीप कुमार दास की छाया प्रति।

(7)

अंचल स्तर से संधारित अभिलेख संख्या–3/15–16 में हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन एवं पंजी–2 की छाया प्रति तथा खतियान की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है। अंचल अधिकारी, लखनौर राजस्व कागजातों के संरक्षक हैं। अंचल अधिकारी, लखनौर ने आदेशफलक में लिखा है कि बिहारी दास पे. स्व.रामखेलावन दास द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में अधकट्टी हिसाब रैयत राम खेलावन दास के नाम से दर्ज है। हकीयत वाद संख्या–1460/05 में प्रतिवादी अंचलाधिकारी मधेपुर को बनाया है जबकि अंचल कार्यालय, लखनौर वर्ष 1984–85 से ही कार्यरत है। उक्त वाद में अंचल अधिकारी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उक्त जमीन सी0एस0एवं आर0एस0दोनों खतियान में सरकारी खाते की है। साथ ही सरकारी योजना से सामुदयिक भवन निर्मित है। **राजस्व अभिलेखों की जॉचोपरांत उनका प्रतिवेदन है कि अंचल लखनौर के खाता नं. 506 खेसरा नं. 2820 पु0 एवं नया खाता नं. 2476, खेसरा नं.–3959 रकवा 0.17 डी0 कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास एवं रिविजनल सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार दर्ज है जिस पर सरकारी राशि से सामुदायिक भवन निर्मित है।** रैयत के नाम से कायम प्रश्नगत सरकारी भूमि का जमाबंदी संदेहास्पद एवं अवैध है ऐसी स्थिति में सरकारी खाते की प्रश्नगत भूमि का सृजित जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। भूमि सुधार उप समाहर्ता,झंझारपुर ने भी इसे अग्रसारित करते हुये सुनवाई कर न्यायादेश पारित करने का अनुरोध किया है।

प्रतिपक्षी ने अपने प्रत्युत्तर में माना है कि पुराना खाता नं. 506 पुराना खेसरा नं. 2820 रकवा 3 कट्ठा 18 धूर पुराना सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास डबरा दर्ज है जिसका भू–बंदोवस्त न्यायालय से रैयत के नाम संशोधित हो चुका है। प्रतिपक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि के एक भाग में सामुदायिक भवन निर्मित है।

सारे तथ्यों पर विज्ञ सरकारी सहायक अधिवक्ता से राय प्राप्त की गयी जिनका लिखित राय है कि विपक्षी राजकुमार दास के खिलाफ जमाबंदी रद्द वाद बिल्कुल जायज विधिसम्मत एवं सही है। जमाबंदी संख्या–4431 में सन्निहित सरकारी खाते की भूमि की कायम जमाबंदी रद्द योग्य है। अतः विपक्षी के नाम दर्ज संदेहास्पद जमाबंदी खारिज की जाय।

अतएव अंचल अधिकारी, लखनौर द्वारा अनुशंसित प्रतिवेदन अभिलेख संख्या–3/15–16 में संलग्न कागजातों, प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर, लिखित बहस, विज्ञ सहायक सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त राय का अवलोकन एवं परिसिलन किया। सारे तथ्यों से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में चूँकि प्रश्नगत भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान एवं रिविजनल सर्वे खतियान सरकारी खाते की है इसलिए जमाबंदी संख्या–4431 में से मात्र प्रश्नगत सरकारी खाते की भूमि का सृजित जमाबंदी को अवैध मानते हुये रद्द किया जाता है। आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, लखनौर को भेजते हुये उसकी प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर को भी दें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से इस आदेश से प्रतिपक्षी को भी अवगत करा दें। आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

21/7/17

अपर समाहर्ता,

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।
21/7/17

141/ 21.7.17